

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक बडीसादडी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बडीसादडी

प्रकरण सं. 34/2013

वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

1- भोपालसिंह पिता मदनसिंह राजपुत नि. बोहेड़ा तह0 बडीसादडी

- वादी

|| बनाम ||

- 1- रघुराजसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपुत नि. बोहेड़ा तह0 बडीसादडी
- 2- निर्भयसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपुत नि. बोहेड़ा तह0 बडीसादडी
- 3- श्रीमति प्रेमकुंवर बेवा गोवर्धनसिंह राजपुत नि. बोहेड़ा तह0 बडीसादडी
- 4- तहसीलदार बडीसादडी
- 5- विरेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह राजपुत नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बडीसादडी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा बोहेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- भोपालसिंह विरेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह राजपूत सा. देह रहन बी.ओ.बी बोहेड़ा हिस्सा भोपालसिंह

आ.न.	रकबा	लगान
1122	2.8200	36.36
1150 मी	1.2400	16.12
<b>02</b>	<b>4.06</b>	<b>52.48</b>

2- रघुराजसिंह निर्भयसिंह पिता गोर्धनसिंह प्रेमकुंवर बेवा गोर्धनसिंह राजपूत सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा बडीसादडी हिस्सा प्रेमकुंवर

आ.न.	रकबा	लगान
1150/1	1.3500	17.55
<b>01</b>	<b>1.3500</b>	<b>17.55</b>


3- भोपालसिंह विरेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह 3/4 रघुराजसिंह निर्भयसिंह पिता गोर्धनसिंह प्रेमकुंवर बेवा गोर्धनसिंह 1/4 राजपूत रहन बदस्तूर

आ.न.	रकबा	लगान
1121	0.0100	आ. चा.
<b>1</b>	<b>0.0100</b>	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।  
निर्णय आज दिनांक 11.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



  
जितेन्द्र कुमार पाण्डे  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बडीसादडी